BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 04 सितम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर आर्म्स एक्ट के आरोपी को 02 वर्ष 05 माह का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त विष्णु पुत्र प्यारे लाल निवासी मौ0 पूर्वइयान थाना जहांगीपुर जनपद बुलन्दशहर के कब्जे से वर्ष 2010 में 01 तमंचा 315 व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुई थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 18.04.2010 को थाना डिबाई पर मुअसं- 132/10 धारा 25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 03.06.2010 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 04 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 04.09.2024 को न्यायाधीश श्री विनय कुमार (मा0 न्यायालय एसीजेएम अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त विष्णु को 02 वर्ष 05 माह का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सूरज कुमार यादव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर